फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सिंहपुर दुग्ध उत्पादक सह. समिति लि. जरिये सचिव
बनाम
हीरीबाई पत्नि फुला जी भील निवासी सिंहपुर वगैरा

प्रकरण संख्या 01/2017 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.06.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकार आज भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अधिवक्ता विपक्षीगण उपस्थित। रूक–रूक कर तीन–चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी निगराकार तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। वि. सं. 1 के कायम मुकाम की कार्यवाही शेष है। अधिवक्ता निगराकार ने अब तक वि. सं. 1 के कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की है। चूंकि वि. सं. 1 की मृत्यु की सूचना उसके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 27.10.2021 को प्रस्तुत करने पर उसी दिवस अधिवक्ता निगराकार को सूचित कर वि. सं. 1 के कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। अधिवक्ता निगराकार को मृत्तक वि. सं.1 के कायम मुकाम हेतु पर्याप्त अवसर दिए गए तथा पेशी दिनांक 15.02.2024 को न्यायहित में अन्तिम अवसर देते हुए निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं करने पर प्रकरण खारिज करने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी उसके पश्चात् भी अधिवक्ता निगराकार द्वारा कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की गई है तथा आज भी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए हैं। चूंकि कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु 90 दिवस की अवधि निर्धारित है फिर भी अधिवक्ता निगराकार द्वारा लगभग 02 वर्ष 08 माह की अवधि व्यतीत होने के बाद भी कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की है। अतः अब प्रकरण अबेटमेंट में खारिज किया जाता है।	